

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-19/2023 /3975 /58-1 -2022-2/1(22)10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फिरोजाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में 11 संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibhartri.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह भर्ती पूर्णतया ऑनलाइन आधार पर पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

| क्र. सं. | बाल विकास परियोजना का नाम | ग्रामीण/ शहरी | रिक्त पदों की कुल संख्या | आ0का0के रिक्त पद | | | |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | अनारक्षित | ई0डब्ल्यू0ए स0 | पिछडी जाति | अनुसूचित जाति |
| 1 | शिकोहाबाद | ग्रामीण | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | अरांव | ग्रामीण | 32 | 14 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | मदनपुर | ग्रामीण | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | खैरगढ | ग्रामीण | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | जसराना | ग्रामीण | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | कोटला | ग्रामीण | 60 | 28 | 8 | 10 | 14 |
| 7 | टूण्डला | ग्रामीण | 54 | 22 | 8 | 18 | 6 |
| 8 | ग्रामीण | ग्रामीण | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | एका | ग्रामीण | 21 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | शहर प्रथम फिरोजाबाद | शहरी | 30 | 13 | 3 | 9 | 5 |
| 11 | शहर द्वितीय फिरोजाबाद | शहरी | 65 | 37 | 11 | 12 | 5 |
| कुल योग | | | 345 | 160 | 49 | 75 | 61 |

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड तथा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरसा की गयी है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibhartri.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थिनी ही पात्र होंगी।
2. रिक्त पदों(आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
3. आवेदिका की आयु सीमा निर्धारित कट ऑफ तिथि (01 जुलाई 2024) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त उनकी मानदेय सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड/ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
5. आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह से पूर्व का मान्य नहीं होगा) ऑन लाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिससे ऑन लाइन सत्यापन हो सके।
6. निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त ही मान्य होंगे।
7. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibhartri.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयवधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक के माध्यम से प्रेषित मान्य नहीं होंगे।

8. आवेदन पत्र में कोई भी सूचना गलत अंकन किये जाने पर अभ्यर्थिनी का अभ्यर्थन निरस्त हो जाने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगी।
9. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
10. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की सीधी भर्ती में निम्न प्रकार से वरीयता दी जायेगी।
 - I. सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की अभ्यर्थिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - II. उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की अभ्यर्थिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - III. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी के न मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थिनी।
 - IV. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थिनी के न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली सर्वप्रथम विधवा महिला और विधवा महिला न मिलने पर विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - V. उपरोक्त में से किसी श्रेणी के अभ्यर्थिनी के न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी महिलाओं को शासनादेशनुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।
11. विधवा अभ्यर्थिनी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय/नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
12. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से निर्गत विधिका आदेश ही मान्य होंगे।
13. नियुक्ति उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थिनी को विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा। विभागीय निर्देशों का पालन न करने पर मानदेय सेवा समाप्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थिनी का होगा।
14. विज्ञापित पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 02.12.2024 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
15. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयान्तर्गत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16. वेबसाइट पर विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती एवं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सकता है।

(केसरी नन्दन तिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्र संख्या 775 / जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2024-25 दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

11 नवम्बर 2024

- 1- निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
- 4- नगर आयुक्त महोदय फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चरपा कराने का कष्ट करें।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी महोदय, जनपद फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि साथ अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चरपा कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी महोदय जनपद फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चरपा कराने का कष्ट करें।

7- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर विज्ञप्ति चरपा कराने के साथ व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें, जिससे कोई पात्र महिला अभ्यर्थिनी आवेदन करने से वंचित न रहे।

8- जिला सूचना अधिकारी महोदय फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम दरों पर अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

11-11-2021
जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद